20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(131)

न्यायालय :— श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल
ग्वालियर कैम्प भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3360

फूलवतीबाई आयु 35 वर्ष पत्नि सुरेन्द्र अहिरवार व्यवसाय धरूकार्य निवासी ग्राम जुन्हेटा तह0 बनखेड़ी जिला होशंगाबाद/म0प्र0/

..................अपीलार्थी

//बनाम//

1..बाबूलाल आयु 75 वर्ष आत्मज बिहारीलाल अहिरवार
2. द्रोपतीबाई आयु 70 वर्ष पत्नि बाबूलाल अहिरवार
दोनो निवासी ग्राम जुन्हेटा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद /म0प्र0/

............उत्तरवादीगण

पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50(**1**)भू—राजस्व संहिता

पुनरिक्षणकर्ता यह पुनरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी महोदय पिपरिया द्वारा राजस्व अपील कं0 25अ/06/वर्ष 2016—17 में धारा 5 मर्यादा अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 24/08/2017 से परिवेदित व दुखी होकर यह पुनरिक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग/
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/2/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3360 जिला **होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः विधिसंगत है कि अनावेदक कमांक 1 अंधा है एवं बिना किसी दस्तावेज के प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा अपने नाम अंतरित करा ली गई है । स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में धोखाधड़ी की पूर्ण संभावना है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	